

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा</u> प्रकरण संख्या 29/2026 रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम उदयलाल 1</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की
	<p>दिनांक : 07.02.2026</p> <p>सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।</p> <p>अभियुक्त उदयलाल व देउबाई मय अधिवक्ता श्री मदनलाल टांक उपस्थित।</p> <p>अभियुक्त अर्जुनलाल अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री मदनलाल उपस्थित।</p> <p>अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो बाद सुनवाई आज के लिए स्वीकार किया गया।</p> <p>पत्रावली श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदया, राजसमन्द के आदेश क्रमांक 18 दिनांक 15.01.2026 की अनुपालना में न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर है। साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 04, 08, 09 व 11 को जरिये जमानती वारंट 5,000/- रुपये के लिए तलब किया जावे एवं गवाह संख्या 12 से 15 को जरिये जमानती वारंट 21.02.2026 के लिए तलब किया जावे।</p> <p>गवाह को जारी वारंट पर लालस्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट केस है, इसलिए आवश्यक रूप से तामील करवाई जावे।</p> <p>तामील की एक प्रति एपीओ व एसपी राजसमंद को प्रेषित की जावे।</p> <p>पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 20.02.2026 को पेश हो।</p>	